लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा ग्राम–खरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड सीमेंट प्रोजेक्ट–क्लिंकर क्षमता–3.25 मिलियन टन/वर्ष, सीमेंट क्षमता–2.5 मिलियन टन/वर्ष, सीपीपी क्षमता–27 मेगावाट, डब्ल्यूएचआरएस क्षमता–15 मेगावाट, डीजी सेट क्षमता–1000 के.व्ही.ए. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.01.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा ग्राम–खरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड सीमेंट प्रोजेक्ट–क्लिंकर क्षमता–3.25 मिलियन टन/वर्ष, सीमेंट क्षमता–2.5 मिलियन टन/वर्ष, सीपीपी क्षमता–27 मेगावाट, डब्ल्यूएचआरएस क्षमता–15 मेगावाट, डीजी सेट क्षमता–1000 के.व्ही.ए. बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई कराने बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया था। दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर तथा टाईम्स ऑफ इंडिया में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 24.01.2020, दिन–शुक्रवार को समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान–परियोजना स्थल स्पोर्ट्स स्टेडियम उप तहसील कार्यालय खरोरा के पास, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में लोकसुनवाई नियत की गई थी। जिसकी सूचना भी संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 24 जनवरी 2020 को श्री विनीत नंदनवार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डा0 एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधी श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा माननीय विधायक धरसींवा, जिला रायपुर, डा0 किरणमई नायक, पूर्व महापौर, रायपुर, आदि एवं स्थानीय/ग्रामीण नागरिक आदि लगभग 350 जन सामान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:10 बजे प्रारंभ की गई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 तक)
3. डॉ. एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया।

5. श्री प्रमोद द्विवेदी, परियोजना प्रमुख द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई :–

श्री प्रमोद द्विवेदी, परियोजना प्रमुख ने बताया कि मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड भारत देश में एक प्रतिष्ठित व्यवासायी परिवार है। डालमिया सीमेंट जो कि भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादकों में से एक है, जिसकी स्थापना 1935 मे श्री जयदयाल डालमिया ने की थी। डी.सी.बी.एल. का पहला सीमेंट प्लांट 1939 में तमिलनाडु के डालमियापुरम में स्थापित किया गया था। इस प्रकार 80 वर्ष की विशेषज्ञता और अनुभव है। वर्तमान में डी.सी.बी.एल. के तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, असम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में सीमेंट प्लांट है। परियोजना प्रस्ताव के संबंध में जानकारी देते हुये बताया गया कि खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ई–निलामी के माध्यम से डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड को केसला–II चूना पत्थर ब्लॉक (357.067 हेक्टेयर) तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के लिये मंशा पत्र जारी किया गया है। उक्त चूना पत्थर ब्लॉक के लिये मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा एकीकृत सीमेंट परियोजना का खरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में स्थापना के प्रस्ताव अंतर्गत क्लिंकर क्षमता–3.25 मिलियन टन/वर्ष (क्लिंकर को दूसरी ग्राईडिंग यूनिट को भी भेजा जाना प्रस्तावित है), सीमेंट क्षमता–2.5 मिलियन टन/वर्ष, सीपीपी क्षमता–27 मेगावाट, डब्ल्यूएचआरएस क्षमता–15 मेगावाट, डीजी सेट क्षमता–1000 के.वी.ए. है तथा स्क्रीनिंग श्रेणी अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधनों के अनुसार उपरोक्त परियोजना श्रेणी 'ए' परियोजना एवं गतिविधी 3 (बी.) सीमेंट संयंत्र के अंतर्गत आती है, के संबंध में जानकारी दी गई। तत्पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में स्थिति तथा पर्यावरण स्थल के विवरण अंतर्गत स्थान–खरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, राज्य–छत्तीसगढ़, भौगोलिक निर्देशांक अंतर्गत अक्षांश–21^0 24'33.90'' उत्तर से 21^0 25'23.12'' उत्तर, देशांतर–81^0 54'38.30'' पूर्व से 81^0 55'29.20'' पूर्व, टोपोशीट संख्या (एस ओ आई) अंतर्गत परियोजना क्षेत्र–एफ 44पी/15 (64 जी/15), अध्ययन क्षेत्र–एफ 44पी/15 (64 जी/15), एफ 44 पी/14 (64जी/14), एफ 44 क्यू 3 (64 के/3), क्षेत्र के विवरण अंतर्गत संयंत्र का कुल क्षेत्रफल–102.6 हेक्टेयर, हरित पट्टिका/वृक्षारोपण क्षेत्र–कुल परियोजना क्षेत्र 33% (यानी 33.85 हेक्टेयर) क्षेत्र को हरित पट्टिका/वृक्षारोपण क्षेत्र के तहत् विकसित किया जायेगा, के संबंध में जानकारी देते हुये संयंत्र स्थल का ले–आउट प्रदर्शित किया गया। अध्ययन क्षेत्र का पर्यावरणीय विवरण तथा अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति दर्शाता मानचित्र का प्रदर्शन करते हुये परियोजना के लिये आधारभूत आवश्यकता, रॉ–मटेरियल का विवरण, आवश्यक ईंधन का विवरण, सीमेंट संयंत्र का प्रकिया विवरण, सी.पी.पी. का प्रकिया विवरण, डब्ल्यू.एच.आर.एस. का प्रकिया विवरण, परियोजना क्षेत्र की जलवायु अंतर्गत माह अक्टूबर से माह दिसम्बर की अवधि का आधारभूत अध्ययन तथा प्रमुख वायु दिशा उत्तर–पूर्व दिशा से बताई गई। वायु एवं ध्वनि विश्लेषण स्थानों के मानचित्र का प्रदर्शन, सतही जल विश्लेषण स्थानों को दर्शाता मानचित्र का प्रदर्शन, भूमिगत जल एवं मृदा विश्लेषण स्थानों को दर्शाता मानचित्र तथा पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन के संबंध में जानकारी दी गई, वन्य जीव संरक्षण योजना के लिये बजट आबंटन, व्यापक वायु गुणवत्ता मॉडलिंग और प्रभाव का पूर्वानुमान, पर्यावरण प्रबंधन

परियोजना, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत का विवरण, परियोजना क्षेत्र का भू–अर्जन, सामाजिक–आर्थिक विकास एवं सी.ई.आर. गतिविधियों के लिये प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधित जानकारी दी गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन सामान्य से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अपना अभिमत/दावा आपत्ति मौखिक तथा लिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री राजू शर्मा (तिल्दा–नेवरा) ने कहा कि मेरा निवदेन है कि सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। फैक्ट्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जिस एरिया में फैक्ट्री लग रही है, उससे कम से कम 15 किलोमीटर के क्षेत्र का विकास हो। अस्पताल हो, सड़क हो और वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जिन किसानों की जमीन जा रही है, उन किसानों के पुत्रों को फैक्ट्री में रोजगार मिले बस यही कहना चाहता हूँ। मैं फैक्ट्री का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस प्लांट के मालिक से एक बात कहना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।

2. श्री अंजय शुक्ला (रायपुर) ने कहा कि यहां बहुत सारी फैक्ट्रियां आयीं है और चल रही है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इसके सम्मान में आपलोगों को भी दिल खोलकर छत्तीसगढ़ के किसानों और नौजवानों को मदद करना चाहिये, समर्थन करना चाहिये। वे अपने अतिथियों का भरपूर सम्मान करते है। लेकिन कभी–कभी अतिथिगण उनके सम्मान का नाजायज फायदा उठाते हैं। अक्सर यहां देखा गया है कि रोजगार मे बहुत–बहुत भेदभाव किया जाता है। 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। छत्तीसगढ़ का एकमात्र साधन किसानी है। जो किसान अगर अपनी जमीन को आपको दे देते है, तो आपका भी कर्तव्य होता है कि उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करे। कंपनी के लाभ का कुछ अंश नौजवानों और किसानों को मिले। जमीन का भरपूर रेट दिया जाये। सरकार 4 गुना रेट देती है, आप 6 गुना रेट दें। पर्यावरण की चिंता आपको करनी है। यह क्षेत्र पर्यावरण प्रदूषण से रहित है। वायु प्रदूषण तो होगा ही। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये कम पैसा खर्च होता है। छोटी–छोटी चीजों में पैसा बचाना छोड़कर छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि की सुविधा उपलब्ध करायें तथा बच्चों की पढ़ाई अच्छी जगह पर करवाने की चिंता भी आपको करनी है। आपकी फैक्ट्री सफलतापूर्वक लगे, स्थापित हो। हम आपके साथ है, आपको भी कदम से कदम मिलाकर चलना है।

3. श्री अरविंद देवांगन (खरोरा) ने स्थानीय रोजगार, जमीन मालिक, सी.ई.आर, पर्यावरण एवं भूमिगत जल के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि हम सीमेंट फैक्ट्री के खुलने का समर्थन करते हैं। हमारे खरोरा एवं आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिये तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जमीन मालिक को जमीन की अच्छी कीमत मिले व प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिले। सी.ई.आर. के माध्यम से हमारे क्षेत्र खरोरा एवं

आसपास के क्षेत्र का विकास हो। सी.ई.आर. के मद से एक अच्छा स्कूल खुले, इस क्षेत्र को एक अच्छा अस्पताल मिले और प्रदूषण की रोकथाम की अच्छी व्यवस्था हो। खदान बनने से भूमिगत जल प्रभावित होगा, तो जल प्रबंधन की व्यवस्था करे, मैं समर्थन करता हूँ।

4. श्री मिथिलेश साहू ने कहा कि अभी हमारे बड़े भईया ने कहा है कि स्थानीय लोगों को अच्छा रोजगार मिले, ऐसा नहीं कि लेबर श्रेणी का। युवाओं और युवतियों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मिले। कंपनी वाले रोजगार तो देते हैं, लेकिन लेबर केटेगरी का, कंपनी वाले इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुये योग्यता अनुसार अच्छे पदों पर रोजगार देवें।

5. श्री नोहर सिंह यदु ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये, पानी की व्यवस्था होनी चाहिये, चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये, रोजगार योग्यता अनुसार मिलना चाहिये। ऐसा नहीं कि लेबर श्रेणी का। आसपास की सभी ग्राम पंचायतों को लाभ मिलना चाहिये।

6. श्री जुबेर अली (पार्षद, नगर पंचायत, खरोरा) ने कहा कि आप देख सकते है कि यहां सबसे ज्यादा युवा लोग आये हैं। अधिकतर युवाओं को हम चौक चौराहों पर घूमते देखते है, उनकी यही समस्या है कि रोजगार नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों से छलावा नहीं करें, सड़क पे उतरने पे मजबूर नहीं करें, युवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, यही मुद्दा है कि पढ़े–लिखे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिये। यदि आप रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है तो आपका धन्यवाद।

7. श्री रविन्द्र मिश्रा ने कहा कि जैसा कि मैंने सुना है, सभी लोगों को रोजगार चाहिये। अभी मैंने आपका प्रस्तुतीकरण देखा जिसमें लगभग 855 मेन पॉवर एवं वर्कर की आवश्यकता बताई गई है। लेकिन यहां लगभग 10 से 20 हजार बेरोजगार हैं। मेरा एक सुझाव है, आप जो रोजगार देंगे योग्यता अनुसार हो। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे बजट का प्रावधान रखें कि क्षेत्र के लोगों का स्किल डेव्लपमेंट हो, जिससे हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस प्रकार आप अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं।

8. श्री निलेश गोयल ने कहा कि इस फैक्ट्री एवं खदान के आने से हमारे पर्यावरण एवं भूमिगत जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूँ।

9. श्री भरत कुंभकार ने कहा कि मुझे इस जनसुनवाई में एक ही बात कहना है, सबको रोजगार मिले। इसके लिये जो अधिकारी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि बाहरी लोगों को रोजगार देते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आसपास का तालाब खराब हो गया है, तालाब की सुरक्षा व सफाई की व्यवस्था की जाये। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये गांव में गार्डन, स्कूल का विकास किया जाये, स्थानीय लोगों का सहयोग करें, महिलाओं का उद्धार करें, स्थानीय महिला बेरोजगारों को भी रोजगार मिले, इसी विश्वास के साथ मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।

10. श्री खिलावन शर्मा (सरपंच, रायखेड़ा) ने कहा कि जब कंपनी खुलती है, तो बहुत सारे वादे करते हैं। वादा करने के बाद वो आदमी चले जाते हैं और दूसरे आदमी आ जाते हैं। क्षेत्र में बहुत से शिक्षित बेरोजगार जो आई.टी.आई. एवं इंजीनियरिंग किये है, जब उनका इंटरव्यू होता है तो उन्हे बोला जाता है कि इंग्लिश नहीं आती है और उन्हें हटा देते हैं। जमीन प्रभावित एवं आसपास के नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थाई नौकरी दे। पास में मोहरेंगा जंगल हैं। वहां जानवर हैं, जो 1 किलोमीटर के भीतर हैं। आसपास भारी आवाज होने से वे भाग जायेंगे। इन सबका ध्यान रखा जाये तथा सब कार्य व्यवस्थित ढंग से हो। सी.एस.आर. फंड से गांव के लिये समुचित व्यवस्था करे।

11. श्री भेखलाल साहू (नहरडीह) ने कहा कि उपरोक्त परियोजना के संबंध में आपत्तियां निम्नानुसार है। पर्यावरणीय प्रभाव अंतर्गत वायु प्रदूषण–उक्त लाईम स्टोन खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोंडिंग, क्रषिंग, ट्रांसपोर्टिंग से धूल, मिट्टी व प्रयुक्त विस्फोटक केमिकल से वायु प्रदूषित होगी। प्रस्तावित क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर ग्राम नहरडीह स्थित है तथा ग्राम से शहर तक पहुंचने के मुख्य मार्ग में स्थित है, जिसके कारण प्रदूषित वायु जन–मानस के स्वास्थ्य के लिये समस्या बन जावेगी। ध्वनी प्रदूषण–खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोंडिंग, क्रषिंग, ट्रांसपोर्टिंग से ध्वनि विस्तार बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा, जिससे मानव समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ध्वनि विस्तार किसी भी स्थिति में 20 डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिये। जल प्रदूषण–कंपनी/संयंत्रों के अपशिट जल से स्थानीय जल का पी एच मान पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। ग्राम नहरडीह पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्राम है, यहां का भूजल स्तर लगभग 10 फीट से लेकर 50 फीट (न्यूनतम) तथा 90 फीट (अधिकतम) की गहराई तक है। कंपनी द्वारा खनन की गहराई बढ़ने से भूजल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। जिससे गांव के पेयजल एवं सिंचाई स्त्रोतों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मृदा प्रदूषण–खनन में प्रयुक्त केमिकलों, प्रदूषित वायु से ग्राम की उपजाऊ मृदा प्रभावित होंगी तथा उत्पादन में कमी आयेगी। उक्त स्थिति से ग्राम कृषक तथा कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जायेगी। कंपन/झटकें–खनन प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम नहरडीह से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है तथा ग्राम के अधिकांश रहवासी मकान कच्ची मिट्टी के बने है तथा जो पक्के मकान है, वह किसी भी दृष्टि से सिविल अनुपातों के अनुसार नहीं बने है। खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग के झटकों को, ग्राम के कोई भी मकान किसी भी स्थिति में झेल नहीं पायेंगें। जिससे जान–माल की क्षति होने की आशंका पैदा होती है। वृक्षों की कटाई–खनन प्रस्तावित क्षेत्रों में लगभग 2 लाख बड़े वृक्ष तथा 1 लाख छोटे वृक्ष/पौधें विद्यमान है जो गांव के जलवायु/पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र हैं। सामान्य बात है कि खनन के लिये इन वृक्षों की कटाई की जावेगी। वृक्षों के काटे जाने से क्षेत्र की मानसूनी वर्षा/पर्यावरण/जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। जैविक पर्यावरण पर प्रभाव–खनन प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न जैव प्रजाति जैसे गौरैया, कबूतर, खरगोश, तितली, कौआ, मधुमक्खी, जंगली सूअर, मैना इत्यादि बहुत से जीव निवास करते है तथा कई प्रकार की बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष हैं। खनन हेतु वृक्षों को कांटे जाने/पर्यावरण प्रदूषणों से उक्त प्रजातियों की समाप्ति हो जायेगी। यह क्षेत्र काली मिट्टी वाली भूमि का हैं,

जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा धान की फसल के लिये श्रेष्ठ व उपयुक्त तथा अधिक उत्पादकता वाली भूमि है। सिंचाई अवरोध–ग्राम नहरडीह कृषि मानसून पर निर्भर है। सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई जल प्रबंधन हेतु गांव के उपरी भूमि पर बांध/डेम का निर्माण किया गया है। जो मानसूनी वर्षा के जल को संग्रहित कर, गांव की कृषि भूमि को छोटी नहर/नाली के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। बांध/डेम तथा नाली खनन प्रस्तावित क्षेत्र में है जिससे गांव की सिंचाई व्यवस्था ठप हो जावेगी। चारागाह–गांव के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि पशुओं का पालन करते है जिसका एकमात्र चारागाह खनन प्रस्तावित क्षेत्र में आता है। अतः गांव के पशुओं हेतु चारागाह की समस्या उत्पन्न होगी। कृषि पर प्रभाव–गांव के लोगों की आय का एकमात्र साधन कृषि कार्य है। पर्यावरण (जल, मृदा, वायु जलवायु) प्रदूषित होने, सिंचाई अवरोध से कृषि कार्य प्रभावित होगा तथा मानसूनी वर्षा प्रभावित होगी। परिवहन/सड़क मार्ग–गांव से शहर तक एकमात्र पहुंच मार्ग खनन प्रभावित क्षेत्र में आती है। यह केवल 6 फिट चौड़ा सड़क मार्ग है। यदि कंपनी द्वारा इसी मार्ग से अपना परिवहन किया जावेगा तो हैवी वाहनों के चलने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जावेगी। सामाजिक आर्थिक प्रभाव अंतर्गत आर्थिक प्रभाव–ग्रामीण समुदाय कृषि से ही अपना भरण–पोषण करती है, खनन कार्य में उनकी भूमि आने की वजह से आर्थिक तथा भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। जीविका का साधन–कृषि, ग्रामीण समुदाय का जीविकोपार्जन की साधन है। खनन प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त उनके पास लगी भूमि भी प्रभावित होगी जिससे जीविकोपार्जन की समस्या आयेगी। कृषि मजदूरी–गांव में कई भूमिहीन परिवार है जो अन्य किसानों की भूमि पर कृषि मजदूरी कर अपना भरण–पोषण करते हैं। किसानों की भूमि कंपनी/खनन क्षेत्र में चली जाने से भूमि स्वामी को तो भूमि के बदले क्षतिपूर्ति मिल जावेगी किंतु भूमिहीन परिवारों के लिये भरण–पोषण की समस्या जटिल हो जावेगी। स्वास्थ्यगत समस्या–पर्यावरण (जल, मृदा, वायु जलवायु) प्रदूषित होने के कारण स्थानीय मानव जीवन पर स्वास्थ्यगत प्रभाव पड़ेगा। जिससे उनकी आय स्वास्थ्यगत कारणों से अधिक प्रभावित होगी। मानसूनी समस्या–गांव से शहर तक एकमात्र पहुंच मार्ग खनन प्रभावित क्षेत्र में आती है। यदि कंपनी द्वारा मार्ग अवरूद्ध किया जावेगा तो गांव से शहर पहुंच मार्ग बाधित हो जावेगा। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के बिना किसी भी स्थिति में खनन की अनुमति नहीं दिया जावे। यदि उक्त समस्याओं के निदान उपरांत यदि खनन अनुमति दी जाती है तो निम्नानुसार अन्य मांग/शर्त प्रस्तावित की जाती है। प्रस्तावित किसानों की मांग/शर्त–1. प्रभावित कृषकों की भूमि 1.50 करोड़ रूपये प्रति एकड़ की दर से क्रय की जावे। 2. यदि कोई कृषक अपनी जमीन/भूमि बेचने तैयार नहीं है तो किसी भी स्थिति में जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण नहीं किया जावे। 3. कंपनी द्वारा सीधे किसानों से जमीन क्रय की जावे। वर्तमान में कंपनी के नाम से विभिन्न बिचौलिये/दलाल सक्रिय हो गये है। जो किसानों को ठगकर कम दामों में अपने नाम से जमीन क्रय कर रहे है, ताकि वह महंगे दामों में कंपनी को बेच सकें। 4. कंपनी द्वारा जमीन क्रय कर समस्त सौदा राशि चेक के माध्यम से दिया जावे। 5. कंपनी द्वारा क्रय की गई जमीन के बीच में यदि किसी किसान की निजी भूमि होने पर आने–जाने हेतु पर्याप्त रास्ता दिया जावे। 6. ग्रामीण मार्गो का कंपनी द्वारा प्रयोग नहीं किया जावे, अपने प्रयोग/परिवहन के लिये कंपनी द्वारा बाई–पास मार्ग निर्मित कर परिवहन की जावे।

7. ग्रामवासियों को प्रदूषण क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिव्यक्ति 6000/– रूपये मासिक मेडिकल भत्ता दिया जावे। 8. प्रभावित कृषकों को प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान उपज मानकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के बराबर प्रत्येक वर्ष अनाज भत्ता दिया जावे। 9. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों तथा अप्रभावित कृषकों को 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जावे। 10. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शासकीय नौकरी दी जावे। 11. कंपनी में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी पद हेतु प्रभावित ग्राम के शिक्षित ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता दी जावे। 12. खनन क्षेत्र व ग्राम की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की जावे। 13. प्रभावित किसान वास्तविक भू–स्वामी हैं। अतः प्रभावित कृषकों को प्रतिवर्ष 50000 /– रूपये की रायल्टी की राशि प्रदान की जावे। 14. कंपनी द्वारा 3 लाख वृक्षों का रोपण किया जावे। 15. पंचायत/ग्राम रायल्टी की राशि सीधे ग्राम पंचायत को दी जावे। 16. ग्राम मवेशियों हेतु चारागाह की व्यवस्था की जावे। 17. खरोरा–पचरी–कठिया मार्ग को भाटापारा तक स्टेट हाईवे के रूप में चौड़ीकरण किया जावे। 18. ग्राम को शुद्ध पेयजल व सिंचाई उपलब्ध कराई जावे। 19. माईनिंग झटकों से यदि किसी ग्रामीण को जान–माल की हानि होने पर 1 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति दी जावे। 20. प्रभावित ग्राम के लोगों को कंपनी द्वारा निर्मित सीमेंट में 80 प्रतिशत की छूट दी जावे। 21. व्यापक वायु गुणवत्ता का साप्ताहिक/जल गुणवत्ता एवं स्तर की मासिक/ध्वनि स्तर की जांच मासिक तथा कंपन की जांच मासिक रूप से की जावे। 22. ब्लास्टिंग पूर्व गांव को लिखित सूचना देकर मुनादी कराई जावे। 23. प्रत्येक कच्चे घरों को पक्का बनाया जावे तथा पक्के मकानों को सिविल मानक मापदण्ड अनुसार बनाया जावे।

12. श्री वी.सुनंदा रेड्डी (पर्यावरणवीद्) ने कहा कि औद्योगिक विकास हो, औद्योगिक विकास को बनाये रखने के लिये कंपनी ने हवा पानी और जमीन का सर्वेक्षण पहले ही किया है, बहुत अच्छा है। मैं डालमिया कंपनी का समर्थन करता हूँ। मैंने अपना अभिमत लिखित में दे दिया हूँ।

13. श्री मोहम्मद फरहान ने कहा कि मैं डालमिया ग्रुप से निवेदन करूंगा कि अगर हमें अपनी बात को रखनी है तो डालमिया ग्रुप एक कस्टमर केयर बनाये, जहां हम अपनी बात रख सकें। इस क्षेत्र में हमारी 30–32 एकड़ जमीन आती है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारी जमीन इस क्षेत्र में आ रही है या नहीं। इसलिये कस्टमर केयर की आवश्यकता है। हम चाहते है कि कोई संदेह होने पर स्थाई रूप से एक सपोर्ट टीम हमारे लिये हो।

14. श्री अजय चकोले ने कहा कि पर्यावरण जन सुनवाई में पर्यावरण से संबंधित बातों में ही चर्चा करना है, लेकिन फिर भी यहां पर पर्यावरण संबंधित बहुत सारी दिक्कतें है। रायपुर के पर्यावरण के बारे में सभी को पता है। पूरे घरों में काला आता है। रायपुर के लोग परेशान हैं। परेशानी का निवारण करना जरूरी है, जो नहीं हो पा रहा है। मानकों को ध्यान में रखते हुये स्थापना सम्मति की मंजूरी देना चाहिये। उत्पादन संबंधित मानकों को पूरा करना चाहिये। आज यहां जितने भी सीमेंट प्लांट आते हैं, यहां के युवकों को नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जाती है, बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। मैं ये बोलूंगा कि कम से कम 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों

को ही नौकरी मे प्राथमिकता मिलनी चाहिये। मानक तो सरकार तय करती है और बकायदा रिपोर्ट भी जाती है कि 60 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है, जो कि झूठी होती है, जिसे कोई चेक नहीं करता है। मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिये।

15. श्री वेदराम मनहरे ने कहा कि मैं डालमिया कंपनी का स्वागत करता हूँ, लेकिन हमारे जितने भी युवा है सभी को नौकरी मिलना चाहिये, क्योंकि हमारे पास मे जी.एम.आर. कंपनी है, लेकिन वहां पर घुसने के लिये परमीशन लेना पड़ता है। सी.एस.आर. मद से यहां पर शिक्षा की उचित व्यवस्था होना चाहिये, बच्चों को पढ़ाने के लिये रायपुर सारागांव भेजना पड़ता है और हमको बहुत ज्यादा खर्च भी उठाना पड़ता है। जो भी सी.एस.आर. का मद है उसे आसपास के 15–20 किलोमीटर के क्षेत्र में लगाया जावे। हमारे पास जो मोहरेंगा जंगल है, उसमें हिरण, खरगोश आदि बहुत सारे जानवर हैं। उनकी अच्छे से देखभाल की जावे। हमारी जो जमीन निकली है, उसका लेन–देन दलाल के माध्यम से न किया जाकर सीधे किया जाये। किसी की जमीन 20 लाख में तो किसी की 60 लाख में खरीदी जाती है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस हेतु मैं कंपनी से निवेदन करता हूँ कि सीधे किसानों से सौदा किया जावे। मैं डालमिया कंपनी का स्वागत करता हूँ व निवेदन करता हूँ कि हमारे लोगों को काम दिया जावे।

16. श्री विकास ठाकुर (खरोरा) ने कहा कि आज हमारे खरोरा क्षेत्र के समस्त जागरूक रहवासी लोगों को बहुत–बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपलोग इस जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को आपलोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझा है। जो लोग अभी स्थानीय रोजगार व पर्यावरण की बात कर रहे थे, ये केवल बाते ही रह जाती है। 2–3 साल पहले रायखेड़ा में पॉवर प्लांट की स्थापना हुई, वहां भी जनसुनवाई हुई थी और वहां भी इन सब समस्यों का बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और अंत में वहां पर पॉवर प्लांट की स्थापना हुई। लेकिन आज वहां कितने स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली है। कितने किसानों ने अपनी खेती की जमीन बेची है, उन्हें क्या प्राथमिकता मिली है? ये पूरा हमारे क्षेत्र के लोगों को छलने का काम हुआ है और डालमिया कंपनी के द्वारा भी आज बहुत ही लुभावना वादा हमारे किसानों, युवा बेरोजगारों से किया जा रहा है और आगे भी इसका यही हर्ष होगा, मैं इसलिये हमारे क्षेत्र के सभी लोगों एवं सभी जनप्रतिनिधियों से हॉथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि बहुत सोच समझ कर, विचार करके इस कंपनी को सहमति देना है। बाकी विकास का विरोध नहीं है। विकास तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ–साथ में लोगों का भी विकास हो। सभी का विकास हो तभी हमको ये स्वीकार्य है।

17. श्री जनकराम साहू (रायखेड़ा) ने कहा कि हमलोगों के पास पैसा नहीं है, तो अपना काम कहीं भी सीखे हैं। उससे हमको नौकरी मिल गई है। इसके बाद हमलोग जो कंपनी में काम करना चाहते है, वेल्डर का काम जो सीखा है, तो वेल्डिंग का काम क्यों नहीं मिलेगा, इंटरव्यू ले सकते है। कंपनी वाले झूठी लुभावना देते हैं, जिसके

पास जमीन नहीं है उसे भी रोजगार की आवश्यकता है, जो नहीं पढ़ा है, लेकिन कलाकार है उसे भी प्राथमिकता मिलना चाहिये।

18. श्री हरिशचन्द्र वैष्णव ने कहा कि मेरी डालमिया कंपनी से यही गुजारिश है। जब कोई कंपनी आती है तो हम लोग टेंडर में काम कर लेते है और फिर बाद में यह कह के निकाल दिया जाता है कि आप स्किल्ड नहीं है। ज्यादातर कंपनी, लोगों को लेबर में लेते है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रभावित गांव है वहां जो शिक्षित बेरोजगार है उसको आप पहले ट्रेनिंग दें। एक–दो साल में ट्रेनिंग समाप्त हो जायेगी तथा कंपनी खड़े होने में चार साल लग जायेंगे। मुझे तीन साल रायखेड़ा प्लांट में काम करने के बाद अनस्किल्ड कह कर निकाल दिया गया। डालमिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी प्रभावित गांव हैं, उन्हे प्राथमिकता दी जावे। जैसे उड़ीसा–बिहार के लोगों को काम पर लाया जाता है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये। छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगारों हेतु रोजगार की पूर्ति होने के पश्चात् दूसरे राज्य के लोगों को लाया जावे।

19. श्री अनिल सोनी (नगर पंचायत अध्यक्ष, खरोरा) ने कहा कि मेरे क्षेत्र में लोगों को जब तक पूर्ण रूप से नौकरी नहीं मिलेगी, मैं एन.ओ.सी. प्रदान नहीं करूंगा। नगर पंचायत के विकास के लिये सी.एस.आर. मद दिया जाये। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जावे। वन्य पशु की सुरक्षा संबंधित व्यवस्था की जाये।

20. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (माननीय विधानसभा सदस्य, धरसींवा) ने कहा कि आज कंपनी के द्वारा जो जनसुनवाई यहां रखी गई है, मैं सभी का बहुत स्वागत करती हूँ कि काफी जागरूकता के साथ आप सभी यहां उपस्थित हुये हैं, यहां योग्यतानुसार लोगों को नौकरी देना चाहिये। शत् प्रतिशत क्षेत्रवासियों को रोजगार देना चाहिये। शासकीय उद्योग नीति के तहत् जमीन मुआवजा समान रूप से प्रदान करना चाहिये।, किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं होना चाहिये कि कोई अमीर है या गरीब। यहां सभी प्रकार के लोगों की जमीन जायेगी, लेकिन पिछला कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी जमीन जाती है उनके लिये बहुत पीड़ा की बात हो जाती है। जो ज्यादा पहुंच वाले होते हैं, उनकी जमीन ज्यादा रेट में खरीदी जाती है और जो गरीब परिवार के होते हैं, उनकी जमीन कम रेट में खरीदी जाती है, इस प्रकार नहीं होना चाहिये। नियम के तहत् जमीन खरीदी होना चाहिये। सी.एस.आर. मद का पैसा शासन के नियमानुसार आसपास के क्षेत्र के विकास कार्य में खर्च होना चाहिये। सी. एस.आर. मद का पैसा स्वास्थ्य के लिये प्राथमिकता के आधार पर समुचित व्यवस्था करना है। प्रदूषण मुक्त प्लांट स्थापित करना चाहिये तथा पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाये। आई.टी आई. प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिये, शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे सी.बी.एस.ई. स्कूल की स्थापना होनी चाहिये, क्योंकि यहां आसपास में सी. बी.एस.ई. स्कूल नहीं है। यहां के बच्चों को रायपुर या आसपास बलौदाबाजार भेजना पड़ता है। यहां पर इस व्यवस्था की मांग करती हूँ। उद्योग में यदि टेक्निकल कर्मचारी की आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार जिनकी जमीन गई है उन्हीं के बच्चों को उद्योग की ओर से ट्रेनिंग का कार्य देना चाहिये। मेरी एक विशेष मांग है कि कंपनी में जिनकी जमीन जा रही है, उनके बच्चे पढ़े लिखे है, बारहवीं पास है, उनको ट्रेनिंग जरूर मिलना चाहिये और उन्हें यहां उचित नौकरी मिलना चाहिये।

जितने भी व्यक्ति की जमीन जायेगी, उनके हर घर में से कम से कम 1 व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना चाहिये। अगर किसी भी व्यक्ति की कार्य के समय किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसके समुचित ईलाज की व्यवस्था करना एवं उनके परिवार के भरण–पोषण का खर्च वहन करना एवं परिवार को रोजगार भी दिया जाना चाहिये। मैं चाहती हूँ कि यहां कंपनी आये, लेकिन यहां की जनता की देखभाल की भी जिम्मेदारी है। अच्छा काम हो, हम सब प्रयास करेंगे।

21. श्री जोगिंदर सिंग सलूजा ने कहा कि सबसे पहले बात यह है कि विकास किसको पसंद नहीं है, लेकिन विकास उनका जरूरी है, जिनका सबकुछ जायेगा, जमीन जायेगी। ये जनसुनवाई जो हो रही है, अगर ये पंचायत चुनाव के बाद होती तो कहीं ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज जिनकी जमीन आपने खरीदी है उसमें बहुत से ऐसे जमीन मालिक हैं जो नहीं आये हैं, क्योंकि कोई सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई पंच का। हमें तो यही पता है कि आपने 2–3 घंटे की लगातार निलामी की बैठक में बैठकर 11 हजार करोड़ में इस जमीन को खरीदा है। उसमें सरकार ने जो मानक स्तर इसमें तय किया था, उससे 20 प्रतिशत अधिक में बोली लगाके आपने इस प्लांट को स्थापित करने के लिये खरीदा है। आपके इस प्लांट लगाने से बहुत सी दुविधायें भी आयेंगी तो सुविधायें भी आयेंगी। बशर्ते ख्याल उनका रखना है जो अपनी जमीन दे रहे हैं। उनके बच्चे को नौकरी देना है, लेकिन उनको मजदूर स्तर का रोजगार देते हैं, मजदूर का। आज किसान का बच्चा डाक्टर–इंजीनियर भी है। हर चीज को जानता है। किसान भी चाहता है मैं अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को कुछ बनाउंगा, तो यहां पर विरोध बहुत है पर सहयोग भी बहुत है। यहां यह है कि सबका विकास हो किसी का नुकसान न हो, हर स्तर पर अगर आप सहयोग करने के लिये तैयार होंगे तो हर क्षेत्र का वासी आपको सहयोग करने के लिये तैयार होगा। हमें हर क्षेत्र में विकास चाहिये। हमारी विधायिका महोदया, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षद सभी की मांगों का ध्यान दें।
22. डा0 किरणमयी नायक (पूर्व महापौर, रायपुर) ने कहा कि डालमिया कंपनी की समरी मेरे पास है। इसके पेज नम्बर 1 में जल 2800 किलोलीटर प्रतिदिन खपत होने एवं बिजली 25 मेगावॉट का उल्लेख है। ये भूजल और वर्षा जल संचय से आप 2800 किलोलीटर प्रतिदिन जल लेंगे यहां के लोगों की जल की आवश्यकता की वैल्पिक व्यवस्था आपलोग क्या करेंगे? क्या इतना जमीन में जल है? मेरे ख्याल से प्रतिदिन आपलोग इतना जल निकालेंगे, आसपास तो कोई नदी भी नहीं है। 2800 किलोलीटर प्रतिदिन जल इस कंपनी को चाहिये तो आप ये सोच लीजिये कि आसपास के जो खेत है उनके सारे बोरवेल कितने प्रभावित होंगे यदि बोरवेल प्रभावित होंगे तो खेती प्रभावित होगी और खेती प्रभावित होगी तो सारे लोग प्रभावित होंगे। तो आपको ये सारी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी पहले करनी पड़ेगी। कंपनी बनने के पहले बड़ी–बड़ी बाते होती हैं। प्रेजेंटेशन भी बड़े–बड़े होते है पर जमीनी धरातल में आपलोग कहीं नहीं दिखते है और इसी का नतीजा है कि टाटा की जो जमीन ली गई थी उसे माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस करना पड़ा। कई साल उन लोगों ने काम नहीं किया उनको जमीन वापस करना पड़ा और ये मांगे जो हो रही है ये बेसिक मांगे है कि सबको रोजगार मिले, आप वायदे भी करते है, पर उसको पूरा नहीं कर पाते है, तो इसके लिये आपलोग क्या एग्रीमेंट बनायेंगे? जिन लोगों से

आप जमीन लेंगे उनके साथ आपको लिखित 100 रूपये के स्टैम्प में एग्रीमेंट करना होगा। तहसीलदार साहब और जितने भी अधिकारी बैठे हैं उन सबके हस्ताक्षर होने चाहिये। मैं पेशे से वकील हूँ, मुझे पता है आपलोग बाद में पलट जायेंगे, लिखित दस्तावेज जब तक नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप यदि नौकरी की बात कर रहे है, तो आप जिनकी जमीन ले रहे है, किसी की 1 एकड़, किसी की 10 एकड़ उनके परिवार के लोगों की संख्या के हिसाब से अनुपात तय कर ले कि यदि किसी व्यक्ति की आधा एकड़ जमीन ले रहे हैं, उस परिवार से कितने लोग को रोजगार देंगे। मैं आपके जो आंकड़े देख रही हूँ, आपको स्थाई कर्मचारी केवल 44 चाहिये, बाकी आपको केवल लेबर चाहिये। अब यदि लेबर की बात करेंगे तो जो आज भूमि मालिक है, वो कल आपके यहां मजदूर बन जायेंगे और जो जमीन देगा उसका मुआवजा यदि मेंनटेन नहीं कर पाया तो शायद एक साल या दो साल में पैसा खतम हो जायेगा, क्योंकि हमलोगों को मालूम है कि जब पैसा आता है तो फटाफट गाड़ी–वाड़ी खरीदते है, जो खेती की जमीन का पैसा आयेगा वो पैसा खतम हो जायेगा। परिवार के आगे कोई सिक्यूरिटी नहीं होगी तो बेहतर है मेरा एक ऑप्शन है आप फिक्स डिपोसिट करें। 10–15 साल तक लोगों के पास रहे उनकी सुरक्षा के हिसाब से ताकि वो अपने बच्चो के भविष्य के लिये स्थाई रूप से उस पैसे का उपयोग कर सके। साथ ही साथ सी.एस.आर. की बात जरूर होती है, परंतु सी. एस.आर. मद जो यहां लिखा है उसके लिये आपको एग्रीमेंट करने की जरूरत है कि सी.एस.आर. मद से आपको प्रतिवर्ष खर्च करने के लिये यहीं के लोगों के साथ एक परमानेंट कमेटी बनाईये, उस कमेटी में यहां के माननीय विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष, सरपंच एवं तहसीलदार आदि रहे, उन्हे पदेन रखिये उनके नाम की जरूरत नहीं है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उस कमेटी का मेंबर ऑटोमेटिक हो जाये। कमेटी के सभी मेंबर की रजामंदी से सी.एस.आर. मद का खर्च हो तथा उसी क्षेत्र में खर्च हो जहां के लिये वह राशि है, जो प्रॉफिट आये उसे दिखाया जाये। आपका प्रतिवर्ष औसत सी.एस.आर. कितना है? जब तक इनकी कंपनी चालू नहीं होगी, तब तक इनका सी.ई.आर. है, जो 17 करोड़ एक साल का है। और जब कंपनी मुनाफे में आयेगी तो उसका 2 प्रतिशत यही बोल रहे है, मै सी.एस.आर. वालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई काम नहीं करते। अब यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो एन.एम. डी.सी. से सी.एस.आर. दंतेवाड़ा नगर पालिका को मिलता है और इतना मिलता है कि दंतेवाड़ा का भरपूर विकास हो गया है तो यहां पर आपको सी.एस.आर. मद के लिये एक गर्वनिंग बॉडी डिक्लियर करनी चाहिये जिसके रजामंदी के बिना सी.एस. आर. के फंड को खर्च नहीं करेंगे, आप मनमाने तरीके से खर्च नहीं करेंगे और जो सी.ई.आर. मद है वो भी सी.एस.आर. का ही एक तरीका है तो 17 करोड़ रूपये इस एरिया के विकास कार्य के लिये है, तथा जिस एरिया के लिये है उसके बाहर आप एक रूपया खर्च नहीं करेंगे और दिखावटी सी.एस.आर. नहीं होना चाहिये। प्लांनटेशन करने में हमने 01 करोड़ खर्चा किया पता चला आपने 10 लाख के भी पेड़ नहीं लगाये। उसका मेंन्टेनेंस भी नहीं हुआ और 01 करोड़ खर्च सी.एस.आर. में दिखा देंगे तो यहां जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, भावी जनप्रतिनिधि हैं जो पत्रकार साथी है आप सबसे मेरा अनुरोध हैं, कि आपलोग बहुत ही पैनी निगाह रखें क्योंकि यदि 17 करोड़ रूपये आता है तो मैं निश्चित मानती हूँ कि इस क्षेत्र का एक अच्छा डेव्लोपमेंट होगा। एक जो प्रोबलम आती है और ज्यादा जो प्रदूषण होगा

उसके कंट्रोल के लिये आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है कि यहां पर पॉल्युशन न हो। सीमेंट का पॉल्युशन इतना होगा कि आने वाले जमाने में अस्थमा की बिमारियां बहुत बढ़ेगी, श्वास की बिमारियां बहुत बढ़ेगी। डस्ट का पॉल्युशन इतना ज्यादा होगा कि लोग आने से डरेंगे। आप पॉल्युशन कंट्रोल के लिये आपके पास क्या प्रावधान है, क्या तैयारी है? पॉल्युशन कंट्रोल के जो नार्म्स होते है कि यहां पॉल्युशन न फैले उसकी तैयारी आपके पास है या नहीं है। (उद्योगप्रतिनिधि–मैडम हमलोग यहां ऑनलाईन कंटिन्यूअस मानिटरिंग करेंगे जिसका सी.पी.सी.बी. के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, अगर कुछ भी मानक से ऊपर गया तो तुरंत एक्शन लिया जाता हैं) ठीक है, आप अगर बोल रहे है तो मान लेते है, परंतु ये जो पॉल्युशन कंट्रोल है इसके लिये भी एक विलिजेंस कमेटी के रूप आप एग्रीमेंट बनाईये यहां के लोगों के साथ। जो मैंने कहा आपसे सी.एस.आर. के लिये वैसे ही पॉल्युशन कंट्रोल के लिये पहले आपको पूरे नार्म्स के साथ में एक कमेटी के साथ बैठिये, अपने पूरे डिटेल प्रपोजल लेकर आप आईये कि यहां पर पॉल्युशन कभी भी नहीं होगा और आप पॉल्युशन के होने की स्थिति में यहां पर यदि किसी भी व्यक्ति को अस्थमा से कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके लिये आप परमानेंट मुआवजे का प्रावधान करेंगे, किसी व्यक्ति की सांस की बिमारी के कारण मौत होती है तो उसके लिये कंपनी जिम्मेदार होगी, यदि आप ये सारे प्रावधान करने को तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका टर्नओवर कितना है? कितने साल में आप स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे? और आपको प्रोफिट कब से होगा, दो सवाल है मेरा। (उद्योगप्रतिनिधि–27 महिने में प्लांट खड़ा हो जायेगा और प्रॉफिट दो साल में आ जायेगा)। मान लो आप दो साल में प्रॉफिट करेंगे तो आपके जो अकाउंट डिवीजन होगा उसकी मॉनिटरिंग के लिये आप मंथली या सिक्स मंथली हमारे जन प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग करके ट्रांसपिरेंसी के साथ बतायेंगे कि आपका अकाउंट पोजिशन क्या है? आपका घाटा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? इसके लिये आप एक ट्रांसपिरेंसी रखेंगे। हमारी मांग रहेगी कि इस एरिया के जितने चुने गये जनप्रतिनिधि हैं, वो सब के सब उस कमेटी में रहे और आप इंडिपेंडेट है, उस कमेटी में डॉक्टर, इंजीनियर्स को लिजिये। यदि आप अपनी कंपनी में ट्रांसपिरेंसी रखेंगे तो न आपको प्रॉबलम होगी ना नागरिको को प्रॉबलम होगी।

जमीन का खरीदी रेट क्या है? यहां पर एक भाई ने कहा कि बारह करोड़, एक ने डेढ़ करोड़, आपलोगों के पास करेंट गाईड लाईन रेट क्या है? (उद्योग प्रतिनिधि–सबसे पहले यह मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि एक होता है भूमि अधिग्रहण और दूसरा वन टू वन पर्चेसिंग। हम किसी भूमि अधिग्रहण के विकल्प में नहीं जा रहे है, जब हम आपसे जमीन लेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ रेट फिक्स करेंगे) मैं आपलोगों को एक छोटा सा नियम बता रही हूँ, सरकार की योजना के तहत् यदि किसी प्लांट का भूमि अधिग्रहण होती है तो कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार एग्रीकल्चर लैण्ड के लिये उसका चार गुणा, यदि यहां पर 6 लाख या 8 लाख रूपये एकड़ है तो उसका रेट चार गुना होगा और शहरी क्षेत्र में है तो दोगुना होता है। इनका कहना है कि ये भूमि अधिग्रहण के नियम से नहीं करेंगे, ये वन टू वन खरीदी पर चर्चा करेंगे, तो यदि आपने 2 साल पहले से भूमिका बनाई थी और यदि उन लोगों को धोखे में रखकर जमीन खरीदी गई है तो उनके साथ न्याय होना चाहिये।

दूरी चीज जमीन के रेट पर ट्रांसपिरेंसी रखे और पब्लिक प्रकाशन कराये। आप जब लोगो से डील करेंगे तो दलाली आयेगी। आप तय कर दीजिये कि रोड से लगी जमीन, रोड से आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर की जमीन का रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा आपलोगों को जमीन के रेट पर क्रिस्टल क्लीयर रहने की आवश्यकता है। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप डालमिया कंपनी से आपसी रजामंदी से जमीन के रेट की एक गाईडलाईन बना ले, जिससे जमीन की दलाली न हो। कृपया आपलोग आज ही इस बैठक के बाद इस मामले को हल कर लीजिये, अपने बीच से लीडर भी चुन लीजिये, नहीं तो दिक्कत बाद में होने वाली है, क्योंकि ये जो बोल रहे है वन टू वन, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, आप अपने पूरे क्लीयरेंसी के साथ लोगों के बीच आईये। धन्यवाद।

23. श्री नरेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि मै एक बात बोलना चाहूँगा कि पीड़ा होती है उन किसानों को देख कर जो विगत दो साल में किसी के लुभाने में आकर जमीन बेंच दिये है। कोई 6 लाख में, कोई 7 लाख में या 8 लाख में, उन किसानों को यह पता नहीं था कि यहां पर कोई प्लांट खुलने वाला है और उसका मुआवजा कुछ अच्छा सा दिया जायेगा, तो ऐसे किसान जो 2 साल में जमीन बेच चुके उनका शासन द्वारा सर्वे कराना चाहिये, जैसे हमारे गांव नहरडीह लगभग 30 एकड़ जमीन पिछले 2 साल में बिका है। इतना ज्यादा जमीन पिछले 2 साल में क्यों बिक गया इसका जांच कराया जाये और जो प्रभावित किसान है, उनको आज के रेट से अंतर की राशि मिलना चाहिये और जैसे किसी ने बताया कि 11 हजार करोड़ में इस कंपनी को जमीन एलॉट हुआ है, तो 11 हजार करोड़ के हिसाब से लगभग 12 करोड़ रूपये प्रति एकड़ में बिका है। एक एकड़ का रेट जो 12 करोड़ रूपये बनाये है, उसमें जितने किसान का जमीन आ रहा है, उन किसानों के लिये कम से कम ड़ेढ़ करोड़ रूपये हमारे गांव के सरपंच के द्वारा मांग की गई है। इस पर ध्यान दिया जाये। प्रभावित किसानों को कम से कम सही मूल्य मिल जायेगा। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इस डालमिया कंपनी का हम स्वागत करते है।

24. श्री मुकेश भारद्वाज ने कहा कि आज जनसुनवाई में हम लोगों को पता चला है कि हमारे जमीन का अधिग्रहण करके कंपनी स्थापित करने वाले हैं। ये पेपर के माध्यम से हमें एक महीना पहले पता चला है, लेकिन कई किसानों को अभी भी ये पता नहीं है कि हमारे जमीन को अधिग्रहित करके शासन ने किसी कंपनी को दिया है। मैं कोई मांग करने नहीं आया हूँ, मैं मांग नहीं करूंगा क्योंकि मैं जमीन का मालिक हूँ मेरा अधिकार है। मैं कंपनी को आदेश करूंगा, मैं मांग नहीं करूंगा, न ही मैं भीख मॉगूंगा क्योंकि यह जमीन मेरी माता है, ये मेरा भरण पोषण करने का जरिया है, जब तक ये कंपनी हमारे आदेश को नहीं मानेगी, हमारे किसान भाई के हक में कोई लिखित फैसला नहीं लेंगे और कंपनी अपने इन्कम ऑफ सोर्स का 1 प्रतिशत किसान को शेयर में शामिल नहीं करेगी तब तक मैं डालमिया कंपनी का घोर विरोध करूंगा, मैं अपनी जमीन को और बाकि किसानों की जमीनों को इस कंपनी में शामिल नहीं होने दूंगा। जब तक सशर्त किसानों का हक पूरा नहीं होगा तब तक डालमिया कंपनी का विरोध करते रहूँगा।

25. श्री कलीराम सोनवानी ने कहा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कंपनी से कौन–कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं?

26. श्री लखन देवांगन ने कहा कि आज लोगों के विरोध करने का कारण मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ सवाल है, जो गांव वाले आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब कोई भी कंपनी आती है तो लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि आपलोगों को रोजगार दिया जायेगा, यहां इतनी बड़ी–बड़ी कंपनी, जी.एम.आर., सारडा खुली हुई हैं। कहते है रोजगार देंगे ऐसा कुछ नही होता हैं, सिर्फ मजदूर बनकर रह जाते हैं, जिनकी भी जमीन बिकी है उनको सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है कि आप लोगों के घर से एक–एक लोगों को रोजगार दिया जायेगा, आप लोगों को सर्व सुविधा दी जायेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है और दूसरी बात अगर जब केसला से 200–300 एकड़ खेत निकलता है तो सबसे पहली बात ये कि खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी। हम अनाज कहां से उत्पन्न करेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे। कंपनी अपनी जगह और हम अपनी जगह इसलिये मैं आप बड़े अधिकारियों से सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि ये 882 एकड़ जमीन केसला, नहरडीह, बरडीह मिलाकर होती है तो 882 एकड़ खेत का उत्पादन कहां से करेंगे। लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? कृपया बताने की कृपा करें। दूसरी और समस्या पानी की है, जब से जी.एम.आर. प्लांट लगा है, समोदा से जी.एम.आर. तक पानी गया है। केसला में एक बूंद पानी आज तक नहीं निकला है। आज जल व वायु प्रभावित होगी। क्या यहां बाहर के लोगों को बसाकर इस एरिया को खतम करना चाहते हो? इसलिये हमारे केसला वाले विरोध में आये हैं। बात है रोजगार की तो हमारा केसला ही 15 गांव को रोजगार देता है, इसलिये हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में हम लोग खड़े है। जितने भी हम लोग आये है, उनको जवाब चाहिये अभी तुरंत। ग्राम पंचायत पूरा हरा भरा है। पर्यावरण से सुसज्जित है। कंपनी बनेगी, पूरे पेड़ कट जायेंगे, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे जो सांस लेंगे, उनको नुकसान होगा, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये आपके पास क्या व्यवस्था हैं? हम लोग हमारे गांव से 200–300 परिवार आये हैं। नक्सली प्रभावित क्षेत्र जहां रोज पुलिस वाले मारे जाते हैं, वहां रोजगार की जरूरत है, आप वहां जाकर कंपनी खोलिये ना।

27. श्री प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये जो फाउंडेशन आप लोगों ने बनाया है, इसमें बाहर के लोग भी रहते हैं ये आपका फाउंडेशन है। जो फाउंडेशन में सी.एस.आर. का पैसा खर्चा करते हैं, वो कौन डिसाईड करता है? आप यहां प्लांट लगाने आ रहे है तो यहां छत्तीसगढ़ की सरकार डिसाईड करेगी, न कि आप अपनी मर्जी से करेंगे। आपको सबसे पहले सर्वे करना चाहिये कि हमारा प्लांट लगने से प्रोबलम क्या–क्या हो सकती है। सी.एस.आर. का खर्चा तो तब करोगे जब प्लांट लगेगा। प्लांट लगेगा ही नहीं तो सी.एस.आर. का खर्चा कहां करेंगे। अब सी.एस.आर. के खर्चे में बता दिया कि डालमिया का फाउंडेशन है। भारत देश का चलचित्र क्यो बता रहे हो आप? पानी के संबंध में बताने के लिये आपको बढ़िया प्रोजेक्टर लाना था। जैसा कि आपने बताया कि कलकत्ता में, बिहार में कैसे आप लोग पानी के संचय के संबंध में काम कर रहे है, तो लोगों को समझ में आता कि हम किस तरह जल संचय का

काम करेंगे। आपका सीमेंट प्लांट यहां पहला सीमेंट प्लांट नहीं लग रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे सीमेंट प्लांट लगे हैं छत्तीसगढ़ में। प्लांट लगने के बाद हम अपने नफा–नुकसान में लग जाते हैं। जनता हर गांव से जुड़ी है, उनको पता लग जाता है कि प्लांट लगने कि क्या स्थिति है तो वो उनके कड़वे अनुभव से आपको कह रहे हैं। दूसरा ये जो फाउंडेशन है। फाउंडेशन में क्या आपकी सीमेंट फैक्ट्री डिसाईड करती रहेगी कि किसी जनप्रतिनिधि को भी रखते हैं? रखिंये आप ताकि क्षेत्र की लोकेलिटी में क्या डिमांड है वहां का भौगोलिक वातावरण क्या है, वहां के लोकल को क्या चाहिये और यहां खरोरा बेल्ट में क्या चाहिये उसमें फर्क हो सकता है। आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा और पहले सर्वे कराइये। रोजगार सबको चाहिये, क्षेत्र का डेव्हलपमेंट सबको चाहिये, लेकिन उसके साथ–साथ जो हानि होगी, हेल्थ की उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसमें फोकस कीजिये।

28. लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि– श्री प्रमोद द्विवेद्वी, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री समीर शर्मा द्वारा आमजनों के माध्यम से प्राप्त सुझाव/आपत्ति के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार उत्तर/जवाब दिया गयाः–

- किसी भी कृषक की जमीन को बेजा अधिकृत नहीं कि जाएगा। वन–टू–वन परचेसिंग की जावेगी। किसानों के साथ बैठकर भूमि की दर तय की जावेगी।
- परियोजना क्षेत्र में खरोरा, नहरडीह, बरडीह और केसला आता है, जहॉ से अभी तक किसी की जमीन की खरीदी नहीं गई है, न ही कोई दर निर्धारित किया गया है। गाइडलाइन दर को ध्यान में रखते हुए बेहतर दर प्रदाय किया जा सकेगा। जमीन का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा।
- सीएसआर मद के अंतर्गत कंपनी के द्वारा जल प्रबंधन के संबंध में पॉण्ड्स और वाटर शेड बनाकर जल की व्यवस्था की जाएगी।
- गांव के विकास के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर को अध्यक्ष बनाया जाता है। जिसके संबंध मे प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जायेगी।
- फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाईजेशन बनाया जाएगा।
- प्रदूषण नियंत्रण के संबंध मे प्रदूषण मापन के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग की व्यवस्था की जायेगी। सरवर में डाटा ट्रांसफर होगा जो कि सीपीसीबी की वेबसाइट में प्रदर्शित होगा, उल्लंघन पाये जाने पर बोर्ड द्वारा तत्काल कार्यवाही की जावेगी।
- कंपनी की संरचना 27 माह में तैयार हो जायेगी।

अंत में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा जनसामान्य को सुझाव एवं आपत्ति होने पर मौखिक एवं लिखित सूचना देने हेतु पुनः कहा गया। यह लोक सुनवाई दोपहर 12:10 बजे आरम्भ होकर दोपहर 02:40 बजे समाप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान 96 अभ्यावेदन (पृष्ठ संख्या 01 से 98) प्राप्त हुये। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की विड़ियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गयी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर
जिला रायपुर छ.ग.